यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बरही, हजारीबाग।

वाद सं0–14/2021 धारा–145 द0प्र0स0

जगदीश महतो –बनाम– बासो महतो वगै0

तारिख	–: आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर :–	अभियुक्ति
	प्रस्तुत वाद कि कार्रवाई आवेदक के आवेदन पर इनके विज्ञ अधिवक्ता द्वारा दिये गए तर्क के आधार पर मौजा मासीपीढी, थाना–बरकट्ठा, जिला– हजारीबाग के अन्तर्गत खाता सं–40 प्लॉट सं–561 रकवा 13 डी0 जिसकी चौहदी उ0–गेनसी मसोमात,द0–भीम महतो,पू0–मुंशी महतो,प0–रास्ता वाली भुमि के कारण कभी भी शांति भंग होने कि सभावना बनी हुई है, शांति व्यवस्था के मद्देनजर धारा 145 द0प्र0स0 के तहत कार्यवाही प्रारंभ करते हुए पक्षकारों को विधिवत नोटिस निर्गत किया गया तथा कारणपृच्छा एवं भूमि संबंधीत कागजात दाखिल करने हेतु निर्देशित किया गया। नोटिस तामिला अभिलेख में साक्ष्य के रूप में उपलब्ध है। नोटिस प्राप्ति के पश्चात उभय पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए तथा अपना–अपना पक्ष रखा। प्रथम पक्ष द्वारा दाखिल कारणपृच्छा में उल्लेख किया गया है कि प्रश्नगत भूमि हमारी खतियानी भूमि है जिसे प्रथम पक्ष के द्वारा हमको एकरारनामा (सादा) के द्वारा दिया गया है। जिसे अब विपक्षी हडपना चाहते है,जिस कारण इस वाद को लाया गया है। द्वितिय पक्ष ने अपने कारणपृच्छा में उल्लेख किया है कि प्रश्नगत भूमि खतियानी भूमि है तथा उक्त प्लॉट में 13–13 डी0 भूमि हिस्सेदारों को मिला तथा प्रथम पक्ष अपनी 13 डी0 भूमि पर मकान निर्माण कर चुके है तथा मेरी हिस्से पर बने मकान पर धारा 145 द0प्र0स0 कार्यवाही कर परेशान करने के नियत से इस वाद को लाया गया है। अंचल अधिकारी,बरकट्ठा ने अपने पत्रांक 20 दिनांक 24.01.2022 से जॉच प्रतिवेदन समर्पित किया है,तथा अपनी प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया है कि मौजा मासीपिढी के थाना न0 103 के रैयती खाता न0–40 कुल रकवा 4.08 ए0 की जमाबंदी पंजी II के पेज नं0 75/2 पर गोविन्द महतो वगै0 के नाम से दर्ज है तथा इनके द्वारा यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि उक्त प्रश्नगत भूमि पर बासो महतो का घर बना हुआ है जो एलवेस्टर सीट का है तथा लोग रह रहे है। अभिलेख में उपलब्ध कागजातों, उभय पक्षों के कारणपृच्छा एवं इनके विज्ञ अधिवक्ता को सुनने तथा अंचल अधिकारी, बरकट्ठा द्वारा प्राप्त जॉच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि प्रश्नगत	

भूमि पर द्वितीय पक्ष का मकान बना हुआ है तथा वे वर्तमान में निवास करते है. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि उक्त भूमि पर द्वितीय पक्ष का कब्जा है. चूकि प्रथम पक्ष बदलैन के आधार पर हक–हकियत का दावा करते है, जो इस न्यायालय को इस धारा के तहत कब्जा के बिन्दु पर ही अधिकार प्रदत्त है तथा हक–हकियत/हिस्सा देना इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। ऐसी परिस्थिति में प्रथम पक्ष अपने बदलैन के आधार पर अपने हक–हकियत/हिस्सा का दावा करने हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में अधोहस्ताक्षरी के विवके से दं0प्र0सं0 की धारा–145 का चलना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उभय पक्षों को शांति बनाये रखने के निर्देश के साथ वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

23/3/22

अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
बरही, हजारीबाग

23/3/22

अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
बरही, हजारीबाग

Digitally signed by POONAM KUJUR
Date: 2023.02.12 21:59:00 +05:30
Location: 192.168.100.22